

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-339/नौ-5-2014-83सा/2009
लखनऊ:: दिनांक: // फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में संरचनात्मक सुधार के एक भाग के रूप में कतिपय सुधारों को प्रस्तावित किया गया है, जिनमें राज्य स्तर पर “डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड” की स्थापना भी सम्मिलित है। अतः जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के परिप्रेक्ष्य में नगरीय परिवहन क्रियाकलापों के वित्त पोषण हेतु राज्य स्तर पर एतद्वारा डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (DUTF-DEDICATED URBAN TRANSPORT FUND) का गठन किया जाता है।

2- राज्य स्तर पर गठित “डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड” का प्रबन्धन एक नियमावली द्वारा की जायेगी, जिसे पृथक् से निर्गत किया जायेगा। उक्त नियमावली में फण्ड की स्थापना के उद्देश्य, व्यय की मर्दों, प्रक्रिया आदि का उल्लेख होगा।

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

संख्या-339(1)/नौ-5-2014, तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन/कर एवं निबन्धन/परिवहन/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
- 6- एसएलएनए/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- 9- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा मथुरा।
- 11- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- 12- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ।
- 13- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मथुरा।
- 14- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
11/02/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।